

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी पार्ट-VI/अलेसे-III/1240

दिनांक :- 17.10.2022

आदेश संख्या:- 637/2022-23

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008, आदेश संख्या एफ.11 (7) वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14 (88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88) वित्त (नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ-डी/रुल्स/2008-I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 4200/- स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं	नाम(सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय ए.सी.पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1*	जनमेजय राठी	14/1992	06.03.1995	06.03.2013	9 वर्ष की ए.पी.ए.आर जाँच के आधार पर देय

उपरोक्त क्रम संख्या 01 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकार के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(संजय सोलंकी)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी पार्ट-VI/अलेसे-III/1240

दिनांक :- 17.10.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 पर अंकित कार्मिक के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।
3. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)